



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22



अनुसूचित जाति कल्याण विभाग



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22



अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में)

मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण	सुश्री मीना सिंह मांडवे
प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण	डॉ. श्रीमती पल्लवी जैन गोविल (आई.ए.एस.)
सचिव अनुसूचित जाति कल्याण	श्रीमती रेनू तिवारी (आई.ए.एस.)
उप सचिव अनुसूचित जाति कल्याण	श्रीमती मीनाक्षी सिंह (आई.ए.एस.)
अवर सचिव अनुसूचित जाति कल्याण	श्री सचिन्द्र राव
विभागाध्यक्ष	
आयुक्त अनुसूचित जाति विकास	श्री संजीव सिंह (आई.ए.एस.)
सचिव मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग	श्री विक्रमादित्य सिंह (अपर संचालक)
विभागान्तर्गत निगम मण्डल एवं संस्थाएँ	
प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (आई.ए.एस.)

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अनुसूचित जाति विकास विभाग के क्रियाकलाप/विभाग की प्रशासनिक संरचना	7-9
2	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10
3	शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाएं	11
4	आवासीय संस्थाएं	13
	4.1-संभागीय आवासीय विद्यालयों का संचालन	13
	4.2-अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था द्वारा संचालित विद्यालय	14
	4.3-छात्रवृत्ति एवं समरूप योजनाएं	14-19
	4.4-विभिन्न सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजनाएं	19-21
	4.5-खेलकूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक विकास संबंधी योजनाएँ	21
5	सामाजिक समरसता	22
	5.1-पुरस्कार एवं सम्मेलन:-	22-23
	5.2-अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन	23
	5.3-अस्पृश्यता निवारणार्थ संचालित योजनाएं	23-24
	5.4-अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015	24
6	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास	25
	6.1-अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास एवं विद्युतीकरण	25
	6.2-अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार	25
	6.3-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	25-27
7	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	28-29
8	विशेष केन्द्रीय सहायता योजनांतर्गत संचालित योजनाएँ:-	29-30
9	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर (म.प्र.)	30-31
10	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग	32-33
11	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल	33
12	राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिट्रिंग समिति	33
13	स्थानांतरण/विभागीय जाँच एवं न्यायालयीन प्रकरण	34
14	महिला नीति	34
15	वर्ष 2021-22 की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ	35
16	विभाग की मुख्य योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि	36-47
17	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का योजनावार बजट प्रावधान वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22	48-53
18	परिशिष्ट-एक (प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना)	54-55
19	परिशिष्ट-दो (निर्माण कार्य)	56

1. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के क्रियाकलाप

मंत्रालय स्तर पर विभागीय नियंत्रण हेतु प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण पदस्थ हैं। शासन की अधिसूचना 21 जुलाई 2011 द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पृथक गठन किया गया है परन्तु संभाग एवं जिला स्तर पर एक ही अधिकारी द्वारा जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

अ - विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालय

1. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास
2. नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ
3. संभागीय स्तरीय कार्यालय,

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम तथा चम्बल (मुरैना) में संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालय पदस्थ है।

4. जिला स्तरीय कार्यालय

जिला स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग का संयुक्त कार्यालय है। 26 जिलों भोपाल, इंदौर, झाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोन, बडवानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, जबलपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, ग्वालियर, श्यौपुर, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, सिंगरौली, उमरिया में सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत है एवं 26 जिलों में नरसिंहपुर, कटनी, रीवा, सतना, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, नीमच, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा एवं निवाड़ी में जिला संयोजक के पद स्वीकृत है।

ब. आयोग

1. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग।

स. विभाग के निगम/मंडल/उपक्रम

1. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित।

द. विभाग से संबंधित संस्थाएँ

1. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, महु, इन्दौर

इ- विभाग के दायित्व :

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (63) को कार्य आवंटन नियम में निम्नानुसार दायित्व सौंपे गये हैं :-

(i) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

1. अनुसूचित जातियों संबंधी कार्य (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ- सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं)
2. अस्पृश्यता निवारण और नागरिक अधिकारों का संरक्षण।
3. अनुसूचित जाति विकास योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उपयोजना का अवधारण तथा अनुमान।
4. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर)

(ii) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

राज्य सरकार द्वारा प्रशासित

1. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 (क्र. 25 सन 1995)
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 संशोधित नियम 2016
5. म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 2014 पुनः संशोधित 2016
6. म.प्र. अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015
7. म.प्र., हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम 2014

(iii) अधिकार क्षेत्र

आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के कार्य:-

- अनुसूचित जाति वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
- मांग संख्या 49 के अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन।
- संभाग स्तर पर समस्त 10 संभागों में संभागीय उपायुक्त, जिला स्तर पर 26 जिलों में सहायक आयुक्त एवं 26 जिलों में जिला संयोजक विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिये जिला स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी है।

इ- विभाग के दायित्व :

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (63) को कार्य आवंटन नियम में निम्नानुसार दायित्व सौंपे गये हैं :-

(i) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

1. अनुसूचित जातियों संबंधी कार्य (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से आते हैं, उदाहरणार्थ- सेवा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं)
2. अस्पृश्यता निवारण और नागरिक अधिकारों का संरक्षण।
3. अनुसूचित जाति विकास योजनाएं तथा अनुसूचित जाति उपयोजना का अवधारण तथा अनुमान।
4. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो, (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर)

(ii) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

राज्य सरकार द्वारा प्रशासित

1. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 (क्र. 25 सन 1995)
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 संशोधित नियम 2016
5. म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 2014 पुनः संशोधित 2016
6. म.प्र. अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015
7. म.प्र., हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम 2014

(iii) अधिकार क्षेत्र

आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के कार्य:-

- अनुसूचित जाति वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
- मांग संख्या 49 के अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन।
- संभाग स्तर पर समस्त 10 संभागों में संभागीय उपायुक्त, जिला स्तर पर 26 जिलों में सहायक आयुक्त एवं 26 जिलों में जिला संयोजक विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिये जिला स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी है।

विभाग की प्रशासनिक संरचना

मंत्री
अनुसूचित जाति कल्याण

प्रमुख सचिव
अनुसूचित जाति कल्याण

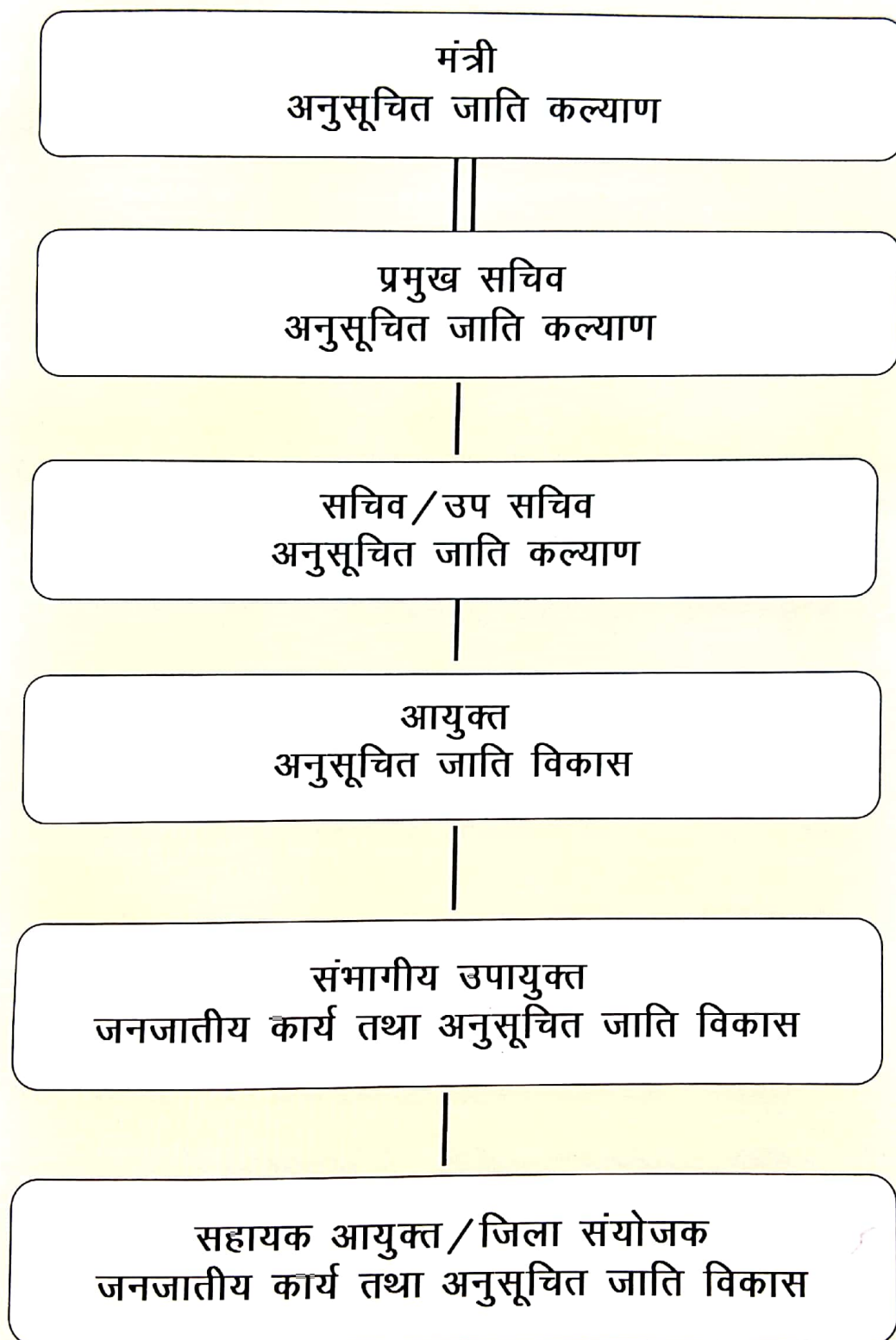
सचिव/उप सचिव
अनुसूचित जाति कल्याण

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास

संभागीय उपायुक्त
जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास

सहायक आयुक्त/जिला संयोजक
जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास

विभाग की प्रशासनिक संरचना



(भाग-एक)

2. महत्वपूर्ण सांख्यिकी
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

		(स्रोत जनगणना 2011)
क्र.	विवरण	सांख्यिकी
1	अनुसूचित जाति जनसंख्या	113.42 लाख
2	प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	15.6 प्रतिशत
3	ग्रामीण जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	82.68 लाख
4	शहरी जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	30.74 लाख
5	कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	73
6	कुल अनुसूचित जाति में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	27
7	अनुसूचित जाति जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	37
8	कुल अनुसूचित जातियों की संख्या	48

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति - साक्षरता

(जनगणना 2011 के अनुसार)

(प्रतिशत में)

	कुल	पुरुष	महिला
कुल	66.16	76.72	54.70
ग्रामीण	66.72	74.05	50.39
शहरी	75.13	83.71	65.88

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति - साक्षरता दर में 2001 से 2011 में हुई वृद्धि का
तुलनात्मक विवरण

(प्रतिशत में)

वर्ष	कुल		पुरुष		महिला	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
कुल	58.6	66.16	72.3	76.72	43.3	54.70
ग्रामीण	55.4	66.72	69.7	74.05	39.4	50.39
शहरी	68.0	75.13	80.1	83.71	54.7	65.88

(भाग-एक)

2. महत्वपूर्ण सांख्यिकी
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

(स्रोत जनगणना 2011)

क्र.	विवरण	सांख्यिकी
		113.42 लाख
1	अनुसूचित जाति जनसंख्या	15.6 प्रतिशत
2	प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	82.68 लाख
3	ग्रामीण जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	30.74 लाख
4	शहरी जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	73
5	कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	27
6	कुल अनुसूचित जाति में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	37
7	अनुसूचित जाति जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	48
8	कुल अनुसूचित जातियों की संख्या	

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति - साक्षरता

(जनगणना 2011 के अनुसार)

(प्रतिशत में)

	कुल	पुरुष	महिला
कुल	66.16	76.72	54.70
ग्रामीण	66.72	74.05	50.39
शहरी	75.13	83.71	65.88

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति - साक्षरता दर में 2001 से 2011 में हुई वृद्धि का
तुलनात्मक विवरण

(प्रतिशत में)

	कुल		पुरुष		महिला	
वर्ष	2001	2011	2001	2011	2001	2011
कुल	58.6	66.16	72.3	76.72	43.3	54.70
ग्रामीण	55.4	66.72	69.7	74.05	39.4	50.39
शहरी	68.0	75.13	80.1	83.71	54.7	65.88

3. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाएं

3 आवासीय संस्थाएँ -

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास की सुविधा तथा पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग जूनियर, सीनियर एवं महाविद्यालयीन छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को रहने तथा भोजन की निशुल्क सुविधा दी जाती है तथा कर्मचारियों के स्थापना संबंधी व्ययभार वहन किया जाता है।

वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित संस्थाएँ -

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	जूनियर छात्रावास	256	12008	315	16107	571	28115
2	सीनियर छात्रावास (उत्कृष्ट छात्रावास सहित)	633	30168	520	25354	1153	55522
3	महाविद्यालयीन छात्रावास	108	5770	81	4345	189	10115
4	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास	10	3200	10	3200	20	6400
	योग	1007	51146	926	49006	1933	100152

3.1. छात्रावास-

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने के लिए विभाग द्वारा 1933 छात्रावास स्वीकृत/संचालित हैं। जिसमें कक्षा 6 से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्ष 2021-22 के लिये 1 अप्रैल 2021 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1 जुलाई 2021 से शिष्यवृत्ति की राशि बालकों को रुपये 1380/- एवं बालिकाओं को रुपये 1420/- प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जिससे विद्यार्थियों को भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। आवासीय संस्था में निःशुल्क विस्तर सामग्री व अन्य सुविधाएं दी जा रही है।

योजनान्तर्गत शासकीय संस्थाओं में (ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों सहित) स्वीकृत सीट 100152 के विरुद्ध वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण 42784 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे हैं। जूनियर, सीनियर, महाविद्यालय के छात्रावासों एवं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 2021 तक राशि रुपये 2269.31 लाख का व्यय किया गया है।

3.2. उत्कृष्ट छात्रावासों का संचालन :-

अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र-छात्राओं के गुणवत्ता पूर्ण शैक्षणिक विकास करने की दृष्टि से विभाग द्वारा राज्य के 29 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों के जिला मुख्यालयों में (एक बालक एवं एक बालिका) कुल 58 जिला स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं। इसके अलावा 37 जिलों के विकास खण्ड मुख्यालयों में बालक बालिका वर्ग के 279 विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में गुणवत्ता की दृष्टि से पौष्टिक भोजन, नाश्ता, निशुल्क आवास व्यवस्था, विषयवार कोचिंग,

कम्प्यूटर प्रशिक्षण, लायब्रेरी, खेलकूद सामग्री आदि सुविधायें प्रदान की जाती है। इन छात्रों के उत्कृष्ट शिक्षण एवं विशेष कोचिंग की दृष्टि से अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषयों में कोचिंग प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट छात्रावासों में रह कर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को राशि रुपये 2000/- प्रति विद्यार्थी के मान से प्रति वर्ष स्टेशनरी तथा अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु प्रदाय की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत सीट 17,250 है। दिनांक 28.01.2022 तक उत्कृष्ट छात्रावास के संचालन में अब तक राशि रुपये 592.93 लाख का व्यय किया गया है।

3.3 अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण :-

उपरोक्त छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु सर्वसुविधायुक्त छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास स्वीकृत/संचालित है। जिनमें से वर्तमान स्थिति में 389 संस्थाएँ भवन विहीन है। भवन विहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रतिवर्ष बजट में राज्य मद व केन्द्रीय मद अंतर्गत प्रावधान किया जाता है।

3.3.1 राज्य मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 10000.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। पूर्व के निर्माणाधीन 09 कार्य प्रगति पर है, तथा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 43 छात्रावास भवनों में से 28 कार्य प्रगति पर तथा शेष भवनों की निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2021 तक राशि रुपये 3321.61 लाख का व्यय किया गया है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.3.2 बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम सीमा 1.50 लाख प्रति छात्र) भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं शेष राशि राज्यांश के रूप में रहती है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 1300.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर 2021 तक इस योजना में राशि रुपये 348.75 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 999.94 लाख की लागत से स्वीकृत बालक छात्रावास भवन भोपाल का कार्य प्रगति पर है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.3.3 बाबू जगजीवन राम कन्या छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अधिकतम राशि रुपये 3.00 लाख प्रति सीट भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं निर्माण लागत अधिक आने पर शेष राशि राज्यांश से व्यय की जाती है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 1500.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर 2021 तक इस योजना में राशि रुपये 580.50 लाख का व्यय किया गया है। इस योजना में स्वीकृत 19 छात्रावास भवनों में से 15 छात्रावास भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.4 छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार योजना -

विभागीय आवासीय संस्थाओं के उत्कृष्ट संचालन व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चयनित मानकों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त छात्रावासों के प्रभारी / कर्मचारियों को रुपये 10,000/- तक के नगद पुरस्कार शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु वर्ष 2018-19 से उत्कृष्टता पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है। जिला स्तर पर 26 जनवरी को पुरस्कार वितरित किये जाने का प्रावधान है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण, लायब्रेरी, खेलकूद सामग्री आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इन छात्रों के उत्कृष्ट शिक्षण एवं विशेष कोचिंग की वृत्ति से अघेजी, विज्ञान व गणित विषयों में कोचिंग प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट छात्रावासों में रह कर पढ़ने वाले छात्र छात्रावासों को राशि रुपये 2000/- प्रति विद्यार्थी के मान से प्रति वर्ष स्टेशनरी तथा अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु प्रदाय की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत सीट 17,250 है। दिनांक 28.01.2022 तक उत्कृष्ट छात्रावास के संचालन में अब तक राशि रुपये 592.93 लाख का व्यय किया गया है।

3.3 अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण :-

उपरोक्त छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु सर्वसुविधायुक्त छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास स्वीकृत/संचालित है। जिनमें से वर्तमान स्थिति में 389 संस्थाएँ भवन विहीन है। भवन विहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रतिवर्ष बजट में राज्य मद व केन्द्रीय मद अंतर्गत प्रावधान किया जाता है।

3.3.1 राज्य मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 10000.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। पूर्व के निर्माणाधीन 09 कार्य प्रगति पर है, तथा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 43 छात्रावास भवनों में से 28 कार्य प्रगति पर तथा शेष भवनों की निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2021 तक राशि रुपये 3321.61 लाख का व्यय किया गया है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.3.2 बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम सीमा 1.50 लाख प्रति छात्र) भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं शेष राशि राज्यांश के रूप में रहती है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 1300.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर 2021 तक इस योजना में राशि रुपये 348.75 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 999.94 लाख की लागत से स्वीकृत बालक छात्रावास भवन भोपाल का कार्य प्रगति पर है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.3.3 बाबू जगजीवन राम कन्या छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अधिकतम राशि रुपये 3.00 लाख प्रति सीट भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं निर्माण लागत अधिक आने पर शेष राशि राज्यांश से व्यय की जाती है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 1500.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर 2021 तक इस योजना में राशि रुपये 580.50 लाख का व्यय किया गया है। इस योजना में स्वीकृत 19 छात्रावास भवनों में से 15 छात्रावास भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.4. छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार योजना -

विभागीय आवासीय संस्थाओं के उत्कृष्ट संचालन व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चयनित मानकों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त छात्रावासों के कर्मचारी / कर्मचारियों को रुपये 10,000/- तक के नगद पुरस्कार शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु वर्ष 2018-19 से उत्कृष्टता पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है। जिला स्तर पर 26 जनवरी को पुरस्कार वितरित किये जाने का प्रावधान है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण, लायब्रेरी, खेलकूद सामग्री आदि सुविधायें प्रदान की जाती है। इन छात्रों के उत्कृष्ट शिक्षण एवं विशेष कोचिंग की दृष्टि से अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषयों में कोचिंग प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट छात्रावासों में रह कर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को राशि रुपये 2000/- प्रति विद्यार्थी के मान से प्रति वर्ष स्टेशनरी तथा अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु प्रदाय की जाती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत सीट 17,250 है। दिनांक 28.01.2022 तक उत्कृष्ट छात्रावास के संचालन में अब तक राशि रुपये 592.93 लाख का व्यय किया गया है।

3.3. अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण :-

उपरोक्त छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु सर्वसुविधायुक्त छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास स्वीकृत/संचालित है। जिनमें से वर्तमान स्थिति में 389 संस्थाएँ भवन विहीन है। भवन विहीन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु प्रतिवर्ष बजट में राज्य मद व केन्द्रीय मद अंतर्गत प्रावधान किया जाता है।

3.3.1 राज्य मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 10000.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। पूर्व के निर्माणाधीन 09 कार्य प्रगति पर है, तथा वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 43 छात्रावास भवनों में से 28 कार्य प्रगति पर तथा शेष भवनों की निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2021 तक राशि रुपये 3321.61 लाख का व्यय किया गया है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.3.2 बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम सीमा 1.50 लाख प्रति छात्र) भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं शेष राशि राज्यांश के रूप में रहती है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 1300.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर 2021 तक इस योजना में राशि रुपये 348.75 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 999.94 लाख की लागत से स्वीकृत बालक छात्रावास भवन भोपाल का कार्य प्रगति पर है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.3.3 बाबू जगजीवन राम कन्या छात्रावास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अधिकतम राशि रुपये 3.00 लाख प्रति सीट भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं निर्माण लागत अधिक आने पर शेष राशि राज्यांश से व्यय की जाती है। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 1500.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर 2021 तक इस योजना में राशि रुपये 580.50 लाख का व्यय किया गया है। इस योजना में स्वीकृत 19 छात्रावास भवनों में से 15 छात्रावास भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

3.4. छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार योजना -

विभागीय आवासीय संस्थाओं के उत्कृष्ट संचालन व व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चयनित मानकों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त छात्रावासों के प्रभारी / कर्मचारियों को रुपये 10,000/- तक के नगद पुरस्कार शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु वर्ष 2018-19 से उत्कृष्टता पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है। जिला स्तर पर 26 जनवरी को पुरस्कार वितरित किये जाने का प्रावधान है।

3.5. छात्रावासों में पुस्तकालय योजना –

प्रत्येक छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये उनके पाठ्यक्रम से संबंधित एवं जीवन उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तकालय योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में 1933 स्वीकृत/संचालित छात्रावासों में निवासरत 100152 विद्यार्थियों को पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

3.6. छात्रावास दिवस योजना–

विभागीय छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा की पहचान, आपसी सद्भाव व मेल मिलाप बढ़ाना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं पालकों/अभिभावकों की सहभागिता एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 1 नवम्बर (मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस) को छात्रावासों में छात्रावास दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस योजना से छात्रावासों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।

3.7. प्रसाधन किट प्रदाय योजना–

विभाग द्वारा संचालित समस्त अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं संभागीय आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रतिवर्ष प्रवेशित छात्र-छात्राओं को साफ-सफाई से रहने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य प्रसाधन किट के रूप में नेल कटर, सुई धागा, बटन, कंघा, आईना, तेल, ब्रश, पेस्ट, साबुन इत्यादि सामग्री हेतु राशि रुपये 100/- प्रति विद्यार्थी दी जाती है।

3.8. दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा:-

अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हेतु दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, उन विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा हेतु राशि रुपये 1000/- आवास किराया, रुपये 500/- शिष्यवृत्ति, रुपये 100/- पानी एवं विद्युत व्यय सहित कुल रुपये 1600/- प्रतिमाह एवं प्रवेश के समय रुपये 2000/- एकमुश्त वार्षिक अनुदान विद्यार्थियों को दिया जाता है।

4. आवासीय संस्थाएं

4.1 संभागीय आवासीय विद्यालयों का संचालन –

समस्त 10 संभागीय मुख्यालयों पर ज्ञानोदय विद्यालय संचालित है। इस योजनांतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को जिनके द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किये गये हों, को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों की पदस्थापना की जाकर छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रत्येक आवासीय विद्यालय की सीट क्षमता 640 सीट है। ज्ञानोदय विद्यालयों के संचालन पर वर्ष 2021-22 में दिनांक 28.01.2022 तक राशि रुपये 1823.88 लाख का व्यय किया गया है।

ज्ञानोदय विद्यालयों का वर्ष 2021 का बोर्ड परीक्षाफल कक्षा 10 वी का 100 प्रतिशत एवं कक्षा 12वी का 100 प्रतिशत रहा है।

4.3.2. अस्वच्छ धंधों में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना:-

अस्वच्छ धंधों में कार्यरत/नियोजित कामगारों के बालक/बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करना है। भारत सरकार ने कचरा बीनने एवं एकत्रित करने वाले बच्चों को भी इस योजना में सम्मिलित किया है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को केन्द्रांश एवं राज्यांश से निम्नानुसार दर से देय होती है :-

कक्षा	छात्रावासी विद्यार्थी (10 माह हेतु)	गैर छात्रावासी विद्यार्थी (10 माह हेतु)
1 से 10	-	2250/- छात्रवृत्ति + 750/- सहायक अनुदान
3 से 10	7000/- छात्रवृत्ति + 1000/-सहायक अनुदान	-

उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

4.3.3. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना:-

अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को शाला में अधिक से अधिक प्रवेश लेने एवं शिक्षा निरन्तर करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्यारहवीं में प्रवेश लेने पर रुपये 3000/- प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 48990 कन्याओं को लाभान्वित करते हुए राशि रुपये 1400.00 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में कन्याओं को लाभान्वित करते हुए राशि रुपये 1300.00 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

यह छात्रवृत्ति भारत शासन एवं राज्य शासन के सहयोग से कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संचालित है। पो.मै. छात्रवृत्ति अन्तर्गत आय सीमा, निर्वाह भत्ता एवं फीस की दरें निम्नानुसार हैं:-

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम	समूह	निर्वाह भत्ते की दरें (वार्षिक)		शुल्क	फीस प्रतिपूर्ति हेतु अभिभावक की वार्षिक आय-सीमा समस्त ग्रुप हेतु आय सीमा
		गैर छात्रावासी	छात्रावासी		
1	2	3	4	5	6
एमबीबीएस/एम.एस./ एमडी/बीई/एमई/ एमबीए/सीपीएल/सीए /सीएस/एम.फिल एचडी/डीएससी/ डी लिट्रे. इत्यादि	समूह-1	7000/-	13500/-	शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में AFRC/PURC	योजना अन्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा वार्षिक आय सीमा रु 2.50 लाख निर्धारित है। इस सीमा तक निर्वाह भत्ता के अलावा पाठ्यक्रमों की अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
बी फार्मा/नर्सिंग/ होटलमैनेजमेन्ट/एमएस सी/एम कॉम एम एड/	समूह-2	650/-	9500/-	की दरों पर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय	गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में राशि रुपये 2.50 लाख से राशि रुपये 6.00 लाख तक आयसीमा के

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम	समूह	निर्वाह भत्ते की दरें (वार्षिक)		शुल्क	फीस प्रतिपूर्ति हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय-सीमा समस्त आय सीमा
		गैर छात्रावासी	छात्रावासी		
1	2	3	4	5	6
एम फार्मा इत्यादि	समूह-3	3000 /-	6000 /-	शिक्षण संस्थाओं की दरों पर प्रदान किया जाता है।	विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के स्त्रोत से की जाती है। राशि रुपये 6.00 लाख की आय सीमा तक अशासकीय महाविद्यालयों में पार्श्वकित अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शुल्क भुगतान हेतु आयसीमा व बंधन समाप्त किया गया है।
बीए/बीएससी/ बी कॉम/बीएड इत्यादि					
ग्यारवी/बारवी/ पोलिटेक्निक इत्यादि	समूह-4	2500 /-	4000 /-		

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 251186 बालकों एवं 225648 बालिकाओं को राशि रुपये 4006.61 लाख स्वीकृत किये गये, वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में लंबित दायित्वों सहित राशि रुपये 34293.00 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

4.3.5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति:-

अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

वर्ष 2020-21 में इस योजनान्तर्गत राशि रुपये 300.00 लाख का प्रावधान के विरुद्ध 31 मार्च 2021 तक रुपये 234.97 लाख का व्यय किया गया है।

वर्ष 2021-22 में इस योजनान्तर्गत राशि रुपये 240.00 लाख का प्रावधान किया गया है एवं 31 दिसम्बर 2021 तक रुपये 192.00 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.6. विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्ति योजना:-

योजनान्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों का चयन विदेशों में स्नाकोत्तर एवं शोध उपाधि अध्ययन हेतु किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 6.00 लाख रुपये है वे इस योजना के लिये पात्र हैं। योजना प्रारंभ होने से अब तक 90 अभ्यर्थियों को आस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, चीन, मलेशिया एवं सिंगापुर, आदि देशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 से योजना में संशोधन किया जाकर इंजीनियरिंग, प्योर एवं एप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल, मैनेजमेन्ट, इंटरनेशनल कॉमर्स एवं अकाउंटिंग फायनेन्स, फारेस्ट्री, नेचुरल साइंस, लॉ के स्नातोकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क, मेडिकल, इंश्योरेंस, बीजा शुल्क, निर्वाह भत्ता, हवाई यात्रा किराया आदि प्रदान किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 स्थिति में 44 विद्यार्थियों को लाभांशित कर राशि रुपये 561.38 लाख व्यय किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाठ्यक्रम	समूह	निर्वाह भत्ते की दर (वार्षिक)		शुल्क	फीस प्रतिपूर्ति हेतु अभिभावक की वार्षिक आय-सीमा समस्त ग्रुप हेतु आय सीमा
		गैर छात्रावासी	छात्रावासी		
1	2	3	4	5	6
एम फार्मा इत्यादि				शिक्षण संस्थाओं की दरों पर प्रदान किया जाता है।	विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के स्रोत से की जाती है। राशि रुपये 6.00 लाख की आय सीमा तक अशासकीय महाविद्यालयों में पार्श्वकित अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शुल्क भुगतान हेतु आयसीमा का बंधन समाप्त किया गया है।
बीए/बीएससी/बी कॉम/बीएड इत्यादि	समूह-3	3000/-	6000/-		
ग्यारवी/बारवी/पॉलिटेक्निक इत्यादि	समूह-4	2500/-	4000/-		

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 251186 बालकों एवं 225648 बालिकाओं को राशि रुपये 47006.61 लाख स्वीकृत किये गये, वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में लंबित दायित्वों सहित राशि रुपये 34293.00 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

4.3.5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति:-

अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 10वी के विद्यार्थी जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

वर्ष 2020-21 में इस योजनान्तर्गत राशि रुपये 300.00 लाख का प्रावधान के विरुद्ध 31 मार्च 2021 तक रुपये 234.97 लाख का व्यय किया गया है।

वर्ष 2021-22 में इस योजनान्तर्गत राशि रुपये 240.00 लाख का प्रावधान किया गया है एवं 31 दिसम्बर 2021 तक रुपये 192.00 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.6. विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्ति योजना:-

योजनान्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों का चयन विदेशों में स्नाकोत्तर एवं शोध उपाधि अध्ययन हेतु किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 6.00 लाख रुपये है वे इस योजना के लिये पात्र हैं। योजना प्रारंभ होने से अब तक 90 अभ्यर्थियों को आस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, पोलैण्ड, चीन, मलेशिया एवं सिंगापुर, आदि देशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 से योजना में संशोधन किया जाकर इंजीनियरिंग, प्योर एवं एप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल, मैनेजमेण्ट, इंटरनेशनल कॉमर्स एवं अकाउंटिंग फायनेन्स, फारेस्ट्री, नेचुरल साइन्स, लॉ के स्नातोकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीजा शुल्क, निर्वाह भत्ता, हवाई यात्रा किराया आदि प्रदान किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 स्थिति में 44 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 561.38 लाख व्यय किया गया है।

4.3.7. सैनिक एवं पब्लिक स्कूलों में अध्ययन हेतु सहायता –

विभाग द्वारा सैनिक स्कूल, रीवा एवं प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल डेली कॉलेज इन्दौर, देहली पब्लिक स्कूल इन्दौर, देहली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। पब्लिक स्कूलों में प्रतिवर्ष 5-5 विद्यार्थी नवीन प्रवेशित कराये जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट पर कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, इसलिये वर्ष 2018-19 से पब्लिक स्कूलों में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है, केवल नवीनीकरण विद्यार्थियों को ही शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 306.24 लाख के विरुद्ध कुल राशि रुपये 294.67 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में कुल राशि रुपये 244.53 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.8. विद्यार्थी कल्याण योजना –

अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने एवं विशेष अभिरुचि को प्रोत्साहन देने हेतु योजनान्तर्गत सहायता दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। योजनान्तर्गत राशि रुपये 25,000/- तक प्रति विद्यार्थी स्वीकृति के प्रावधान है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों को लाभान्वित दिनांक 28.01.2022 की स्थिति में राशि रुपये 3.55 लाख व्यय किया गया है।

4.3.9. डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना –

इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती हैं।

कक्षा 10वीं एवं 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निम्नानुसार पुरस्कार की पात्रता है।

(अ)

क्रमांक	परीक्षा	श्रेणी	पुरस्कार राशि
1	10वीं बोर्ड परीक्षा	प्रथम स्थान (बालक या बालिका)	30,000 / -
2	10वीं बोर्ड परीक्षा	द्वितीय स्थान (बालक या बालिका)	25,000 / -
3	10वीं बोर्ड परीक्षा	तृतीय स्थान (बालक या बालिका)	20,000 / -
4	10वीं बोर्ड परीक्षा	चतुर्थ स्थान (केवल बालिका)	15,000 / -
5	10वीं बोर्ड परीक्षा	पंचम स्थान (केवल बालिका)	10,000 / -
6	10वीं बोर्ड परीक्षा	छठवा स्थान (केवल बालिका)	5,000 / -

(ब)

क्रमांक	परीक्षा	श्रेणी	पुरस्कार राशि
1	12वीं बोर्ड परीक्षा	प्रथम स्थान (बालक या बालिका)	51,000 / -
2	12वीं बोर्ड परीक्षा	द्वितीय स्थान (बालक या बालिका)	40,000 / -
3	12वीं बोर्ड परीक्षा	तृतीय स्थान (बालक या बालिका)	30,000 / -
4	12वीं बोर्ड परीक्षा	चतुर्थ स्थान (केवल बालिका)	20,000 / -
5	12वीं बोर्ड परीक्षा	पंचम स्थान (केवल बालिका)	15,000 / -
6	12वीं बोर्ड परीक्षा	छठवा स्थान (केवल बालिका)	10,000 / -

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) एवं इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकण्ड्री एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) से प्राप्त प्रावीण्य सूचियों के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची का निर्माण कर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।

प्रतिवर्ष संबंधित बोर्ड से प्रावीण्य सूची प्राप्त कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 6-6 बालक बालिकाओं को गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। प्रावीण्य सूची के शेष कक्षा 10 के 50-50 बालक-बालिका एवं कक्षा 12 के 50-50 बालक बालिकाओं को जिला स्तर पर 1000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।

4.3.10. 11वीं कक्षा की छात्राओं को सायकल प्रदाय योजना -

ऐसी छात्रायें जिन्हें स्थानीय स्तर पर शिक्षण संस्था न होने के कारण कक्षा 11 में अध्ययन हेतु अन्य स्थान पर स्थित विद्यालय में जाना पड़ता है एवं कक्षा 9वीं में सायकल प्राप्त न हुई हो ऐसी छात्राओं को कक्षा 11 में निवास से विद्यालय आने जाने के लिये सायकल क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा शिक्षा विभाग की दर पर सायकल क्रय हेतु निर्धारित राशि बालिकाओं के बैंक अकाउन्ट में जमा की जाती है। आय सीमा का बंधन नहीं है। योजना वर्ष 2013-14 से प्रभावशील है।

योजनान्तर्गत लंबित दायित्व के भुगतान हेतु वर्ष 2020-21 में 311 छात्राओं को राशि रुपये 9.93 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में 332 बालिकाओं को राशि रुपये 10.60 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.11. नेतृत्व विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण योजना -

प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं में व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता के विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण हेतु राजधानी मुख्यालय भोपाल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पांच दिवसीय शिविर का आयोजन किये जाने का प्रावधान है। इस शिविर में प्रत्येक जिले से कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के एक छात्र तथा एक छात्रा को चयनित कर शिविर में बुलाया जाता है। उक्त शिविर में उन्हें जीवन उपयोगी विभिन्न विधाओं एवं कैरियर संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिविर के प्रतिभागियों को माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस से भेंट कराई जाती है एवं भारत के महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण भी कराया जाता है।

योजनान्तर्गत 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये है।

4.3.12. महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना -

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आई.आई.टी., ए.आई.आई.एम.एस. मेडिकल, एन.एल.यू.आई., एन.डी.ए. में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर संस्थाओं में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को जिनके पालकों की आय रुपये 6.00 लाख तक है उन्हें रुपये 50,000/- एवं ऐसे विद्यार्थियों जिनके पालकों की आय सीमा रुपये 6.00 लाख से अधिक किन्तु रुपये 10.00 लाख से कम है उन्हें रुपये 25,000/- की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। योजना वर्ष 2012-13 से प्रभावशील है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 04 विद्यार्थियों को राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 तक की स्थिति में 79 विद्यार्थियों को राशि रुपये 16.75 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.13. आवास सहायता योजना-

योजना दिनांक 11.9.2013 से प्रभावशील की गई है। योजना के तहत गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीट संख्या के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को योजना का लाभ देय है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगरों में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, अन्य जिला मुख्यालयों पर 1250/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों पर 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह आवास सहायता का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में आवास सहायता में लंबित दायित्वों सहित कुल 89098 विद्यार्थियों को राशि रुपये 8728.07 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में आवास सहायता योजना में दिसम्बर 2021 की स्थिति में लंबित दायित्व के भुगतान हेतु राशि रुपये 5902.30 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.14. ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में स्काउट एवं गाइड शुल्क की प्रतिपूर्ति-

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए स्काउट/गाइड एवं कब/बुलबुल दलों के प्रशिक्षण हेतु राशि भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, भोपाल एवं 10 ज्ञानोदय विद्यालयों को प्रदाय की जाती है।

योजनान्तर्गत 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं।

4.4- विभिन्न सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजनाएं

4.4.1. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र -

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 07 संभागीय मुख्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर तथा उज्जैन में विभागीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

इन केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक/युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त बैंक, रेल्वे, पुलिस सेवा, जीवन बीमा निगम, पी.

4.3.12. महर्षि वाणिकी प्रोत्साहन योजना -

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आई आई टी ए आई आई एम एम मेडिकल एम एल यू आई एन डी ए में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर संस्थाओं में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को जिनके पालकों की आय रुपये 6.00 लाख तक है उन्हें रुपये 50,000/- एवं ऐसे विद्यार्थियों जिनके पालकों की आय सीमा रुपये 6.00 लाख से अधिक किन्तु रुपये 10.00 लाख से कम है उन्हें रुपये 25,000/- की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। योजना वर्ष 2012-13 में प्रभावशील है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 04 विद्यार्थियों को राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 तक की स्थिति में 79 विद्यार्थियों को राशि रुपये 16.75 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.13. आवास सहायता योजना-

योजना दिनांक 11.9.2013 से प्रभावशील की गई है। योजना के तहत गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीट संख्या के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को योजना का लाभ देय है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।

भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगरों में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, अन्य जिला मुख्यालयों पर 1250/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों पर 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह आवास सहायता का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में आवास सहायता में लब्धित दायित्व सहित कुल 89098 विद्यार्थियों को राशि रुपये 8728.07 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में आवास सहायता योजना में दिसम्बर 2021 की स्थिति में लब्धित दायित्व के भुगतान हेतु राशि रुपये 5902.30 लाख का व्यय किया गया है।

4.3.14. ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में स्काउट एवं गाइड मुल्क की प्रतिपूर्ति-

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए स्काउट/गाइड एवं कब/बुल्बुल दत्तो के प्रशिक्षण हेतु राशि भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, भोपाल एवं 10 ज्ञानोदय विद्यालयों को प्रदाय की जाती है।

योजनान्तर्गत 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं।

4.4- विभिन्न सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजनाएं

4.4.1. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र -

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 07 संभागीय मुख्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर तथा उज्जैन में विभागीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

इन केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवक/युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त बैंक, रेल्वे, पुलिस सेवा, जीवन बीमा निगम, पी

ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पात्रता हेतु आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय 6.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 226 उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया एवं वर्ष 2021-22 में नर्सिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में 244 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु 372 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4.4.2. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना -

अनुसूचित जाति के स्नातक युवकों को राज्य एवं केन्द्र शासन की सिविल सेवा परीक्षाओं में चयन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि निम्नानुसार प्रदान की जाती है -

1. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु

- (एक) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रुपये 40,000/-
- (दो) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रुपये 60,000/-
- (तीन) अंतिम चयन होने पर राशि रुपये 50,000/-

2. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु

- (एक) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रुपये 20,000/-
- (दो) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रुपये 30,000/-
- (तीन) अंतिम चयन होने पर राशि रुपये 25,000/-

योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों के माता-पिता एवं अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयं के द्वारा उक्त परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को योजना के प्रावधान अनुसार लाभान्वित कराया जाता है। योजनान्तर्गत स्वीकृति जिला कार्यालय के स्तर से जारी की जाती है। वर्ष 2020-21 में 193 उम्मीदवारों को राशि रुपये 26.80 लाख व्यय किया गया।

4.4.3. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने की योजना -

योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को नई दिल्ली स्थित 04 प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग दिलाना है। योजना वर्ष 2013-14 से प्रारंभ की गई है।

योजना में राशि रुपये 6.00 लाख तक आय सीमा के परिवार के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है। योजनान्तर्गत प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु अधिकतम 18 माह के प्रशिक्षण हेतु रुपये 12,500/- प्रतिमाह शिष्यवृत्ति एवं कोचिंग शुल्क रुपये 2.00 लाख (अधिकतम) हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों हेतु एवं रुपये 15,000/- पुस्तक क्रय हेतु एक मुश्त मुगतान का प्रावधान है। प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने का लक्ष्य निर्धारित है।

दिसम्बर 2019 में अनुसूचित जाति के 84 उम्मीदवारों का चयन योजनांतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु किया गया, जो वर्ष 2020 में भी संचालित रहा। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 67.75 लाख तथा वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 114.58 लाख का व्यय की गयी। कोविड-19 के कारण नई संस्था तथा नये उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सका है।

4.5-खेलकूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक विकास संबंधी योजनाएँ –

4.5.1. जिला स्तर पर छात्रावासों की क्रीड़ा प्रतियोगिता –

अनुसूचित जाति की आवासीय संस्थाओं यथा प्री. मैट्रिक छात्रावास/ आश्रमों/आवासीय विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों में छात्र छात्राओं के शैक्षणिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास करने एवं उन्हें राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के उद्देश्य से खेलकूद एवं सांस्कृतिक/बौद्धिक प्रतियोगिता की योजना संचालित की गई।

योजनान्तर्गत आवासीय संस्थाओं में जूनियर एवं सीनियर संवर्ग हेतु पृथक-पृथक क्रीड़ा, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तर को प्रतियोगिता में अधिकतम 100 छात्र / छात्रायेँ सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में कोविड-19 होने से छात्रावासों में क्रीड़ा प्रतियोगिता नहीं हुई है।

4.5.2 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कार—

योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्रतिभावान राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने के लिये व्यक्तिगत स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक विजेता को राशि रुपये 21000/- रजत पदक विजेता को रु. 15000/- तथा कांस्य पदक विजेता को रु. 11000/- पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय स्तर की सामूहिक प्रतिस्पर्द्धाओं में स्वर्ण पदक विजेता को रु. 10000/- रजत पदक विजेता को रु. 7000/- तथा कांस्य पदक विजेता को रु. 5000/- पुरस्कार राशि का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धाओं में केवल भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 4000/- देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 85,000/- पुरस्कार राशि प्रदान की गई है।

4.5.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खिलाड़ियों को खेलकूद उपकरण क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता –

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल उपकरणों के क्रय हेतु सहायता स्वरूप रु. 12,000/- एवं सामूहिक प्रतिस्पर्द्धा में रु. 8000/- की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। चयनित छात्रों को राजधानी भोपाल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाता है।

राज्य स्तर पर भाग लेने वाले प्रतिस्पर्द्धियों के लिये खेल उपकरणों के क्रय हेतु सहायता स्वरूप व्यक्तिगत प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रु. 7000/- एवं सामूहिक प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रु. 5000/- की राशि प्रदान की जाती है।



5. सामाजिक समरसता

5.1 पुरस्कार पारितोषिक सम्मान एवं कार्यशाला सम्मेलन :- पुरस्कार एवं सम्मान-विभिन्ना विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों समाज सेवी संस्थाओं को विभाग द्वारा निम्न विभिन्न पुरस्कार प्रदान करने की योजनाएँ संचालित हैं। वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 281.89 लाख का प्रावधान किया एवं राशि रुपये 193.54 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 0.40 लाख का प्रावधान किया है, किन्तु कोविड-19 संक्रमण के कारण कोई व्यय नहीं हुआ। वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 2021 तक पूर्व वर्ष के लंबित दायित्व में राशि रुपये 415.00 लाख का व्यय किया गया है।

(क) संत रविदास स्मृति पुरस्कार :- अनुसूचित जाति वर्ग समाज में संत रविदास की प्रतिष्ठा, आत्मोत्थाहनकारी समाज सेवक के रूप में है। इस वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में संत रविदास का महती योगदान है, प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से कार्य करने वाले उन व्यक्तियों एवं सामाजिक संस्थाओं की वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संत रविदास पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2005 में की गई है। उक्त हेतु राशि रुपये 1.00 लाख रुपये एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदत्त की जाती है।

(ख) डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार:- उक्त सम्मान पुरस्कार डॉ. बाबा साहेब के जीवन दर्शन के अनुरूप समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के लिये समानता एवं सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा अशासकीय संस्था को प्रदान किया जाता है। उक्त पुरस्कार हेतु राशि रुपये 1.00 लाख प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है। उक्त पुरस्कार हेतु डॉ. बाबा साहेब विश्व विद्यालय महू जिला इन्दौर के द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(ग) संत कबीर पुरस्कार:- अनुसूचित जाति वर्ग के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से व्यक्तियों की कला, उनकी साहित्यिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहन मान्यता एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से प्रदेश के निवासियों को यह पुरस्कार वर्ष 2007-08 से प्रारंभ किया जाकर निम्न तीन श्रेणियों में दिया जाता है-

1. संत कबीर साहित्यकार पुरस्कार
2. संत कबीर कलाकार पुरस्कार
3. संत कबीर रंगकर्मी पुरस्कार

उक्त, तीनों विधाओं में प्रथक-प्रथक पुरस्कार स्वरूप राशि रुपये 1.00 लाख का प्रावधान है।

(घ) श्री विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान पुरस्कार:- वर्ष 2010-11 से सेवा भारती के संस्थापक श्री विष्णु कुमार की स्मृति में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/स्वयं सेवी संस्थाओं को रुपये 1.00 लाख के श्री विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान पुरस्कार देने की योजना प्रारंभ की गई है। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिये किये गये कार्य के आधार पर प्रदाय किया जाता है। उक्त हेतु 1.00 लाख की राशि एवं प्रशंसा पट्टिका प्रदत्त की जाती है।

(च) महर्षि वाल्मिकी स्मृति पुरस्कार:- अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वाल्मिकी जाति के समाज सेवकों को पुरस्कृत करने की दृष्टि से उक्त पुरस्कार प्रदान करने की योजना वर्ष 2011 से प्रारंभ की है उक्त हेतु राशि रुपये 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

- (छ) संत रविदास कर्मण पुरस्कार:- अनुसूचित जाति वर्ग के विकास कल्याण एवं आर्थिक उत्थाहन के लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को उक्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 15 जून 2016 से प्रारंभ हुआ है, उक्त हेतु राशि रुपये 5.00 लाख एवं प्रशंसा पट्टिका दी जाती है।
- (ज) संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार:- अनुसूचित जाति वर्ग के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी वर्ग के समाज सेवकों को उक्त पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 15 जून 2016 से प्रारंभ किया है। उक्त हेतु राशि रुपये 2.00 लाख एवं प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है।

5.2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन:-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संचालनालय स्तर पर पृथक से नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ गठित है जिसके माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुलिस मुख्यालय में पृथक से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आजाक) व अधीनस्थ अमला पदस्थ है तथा 10 रेंज पुलिस अधीक्षक पदस्थ है। प्रदेश के 51 जिलों में विशेष पुलिस थाना गठित है व अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की विवेचना के लिये प्रत्येक जिले में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ है।

अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अपराधों के न्यायालयों में त्वरित निराकरण हेतु 43 जिलों में विशेष न्यायालय गठित है शेष जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अत्याचार पीड़ित की सहायता हेतु एससी/एसटी विशेष न्यायालयों हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई है जिसमें 10 उप संचालक लोक अभियोजन नियमित रूप से कार्य करते हैं तथा अन्य 41 जिलों में लोक अभियोजन अधिकारी / अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष लोक अभियोजक के कार्य हेतु आदेशित किया गया है।

इन प्रकरणों की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, जिला स्तर पर जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का प्रावधान है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग की बैठकें नियमित हो रही है।

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग की बैठक छः माह में आयोजित किये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री होते हैं।

भारत सरकार द्वारा अधिनियम में किये गये संशोधनों को क्रियान्वित करने के लिये नये राहत नियम 1 अगस्त 2016 से लागू किये गये हैं।

वर्ष 2020-21 में 9951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को विभिन्न अपराधों में से 13465.89 लाख की राहत राशि वितरित की गयी है।

वर्ष 2021-22 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को विभिन्न अपराधों में राशि 18.54 लाख (दिसम्बर 2021 की स्थिति में) की राहत राशि वितरित की गयी है।

अस्पृश्यता निवारणार्थ संचालित योजनाएं :-

(क) अस्पृश्यता निवारणार्थ ग्राम पंचायत पुरस्कार -

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की एक ऐसी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है जो अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करती है। इसमें अनुसूचित जाति की बस्तियों में विकास के कार्य, विद्युतीकरण के कार्य की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदि कार्य

सम्मिलित हैं। इस योजना के तहत अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को जिला स्तर पर रुपये 1.00 लाख का पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है।

(ख) सद्भावना शिविर का आयोजन -

अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रत्येक जिले में 2 अक्टूबर को सद्भावना शिविर एवं सहभोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी वर्गों के लोग एवं जन-प्रतिनिधि एक साथ सामूहिक सहभोज में सम्मिलित होते हैं।

वर्ष 2021-22 में जिलों में कोविड-19 का पालन करते हुए सद्भावना शिविरों का आयोजन किया गया है।

(ग) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना -

अन्तर्जातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना है। ऊँच-नीच और छूआ-छूत के विचारों को त्याग कर इन विचारों से ओत-प्रोत सवर्ण युवक अथवा युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवती अथवा युवक से विवाह करने पर ऐसे दम्पतियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। योजना में प्रत्येक अन्तर्जातीय विवाह करने वाले आदर्श दम्पति को प्रोत्साहन राशि 2.00 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2020-21 में कुल 1100 दम्पतियों को राशि रुपये 22.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

वर्ष 2021-22 (31 दिसम्बर 2021 की स्थिति) में कुल 699 दम्पतियों को राशि रुपये 1398.00 लाख की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

5.4 अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015 :-

अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979 (यथा संशोधित) में अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्त प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए म.प्र. अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015 दिनांक 12 जून 2015 से प्रभावशील किये गये हैं।

योजनांतर्गत निःशक्तजन जो जीविकोपार्जन में असमर्थ है, निराश्रित वृद्ध, ऐसा बीमार जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो, दैनिक मजदूर, खेतीहर मजदूर, छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति जो किसी दुर्घटना अथवा दैवीय प्रकोप के कारण काम करने में असमर्थ हो अथवा परिवार के मुखिया का निधन हो जाने के कारण परिवार के भरण पोषण की तत्काल कोई व्यवस्था न होने, मकान जला दिया जाना, चलसम्पत्ति, पशु आदि का नुकसान व ट्यूब-वेल, बिजली मोटर, फलदार वृक्ष एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का नुकसान हो जाने पर राहत प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। योजना अंतर्गत संभागीय आयुक्त/आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास राशि 15,000/- रुपये तक, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा राशि 10,000/- रुपये तक तथा सहायक आयुक्त/जिला संयोजक राशि 5000/- रुपये तक स्वीकृत करने हेतु सक्षम है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में कुल 162 हितग्राहियों को लाभांश कर राशि रुपये 11.16 लाख व्यय किया गया है।

6. अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास

6.1 अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास एवं विद्युतीकरण :-

प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु संचालित योजना में दिनांक 15 मई 2018 से संशोधन किया गया है। योजना नियमों में अनुसूचित जाति बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/वार्डों/मोहल्लों/मजरे/टोले/पारे से है, जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक हो ऐसी बस्तियों में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैण्ड पम्प खनन, अनुसूचित जाति बस्तियों/ छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुँच मार्ग/रपटा/पुलिया आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है। प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले (जहाँ मुख्य ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुँची है) में विद्युत लाइन विस्तार करने संबंधी योजना संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रावधानित राशि 80.00 करोड़ के विरुद्ध 31 मार्च 2021 की स्थिति में राशि रुपये 65.66 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान राशि रुपये 3000.00 लाख के विरुद्ध 80 प्रतिशत राशि रुपये 2400.00 लाख जिलों में अनुसूचित जाति जनसंख्या के मान से जारी की गई। शेष शासन विकल्प पर 20 प्रतिशत राशि रुपये 600.00 लाख से शासन स्वीकृति अनुसार आवंटन जारी किया गया। वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान राशि रुपये 3000.00 लाख के विरुद्ध दिसम्बर 2021 की स्थिति में राशि रुपये 853.50 लाख का व्यय किया गया है।

6.2 अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के सिंचाई स्रोत तक विद्युत लाईन का विस्तार:-

आर्थिक रूप से विपन्न, लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति के कृषकगण अपने छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई करने के लिए अपने सिंचाई स्रोत तक विद्युत लाईन लेने में असमर्थ रहते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन कृषकों के सिंचाई स्रोत तक विद्युत लाईन का विस्तार विभाग द्वारा कराया जाता है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित राशि 2000.00 लाख के विरुद्ध 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि रुपये 1050.56 लाख लगभग व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह योजना 4722-अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास योजना में मर्ज की गई है।

6.3 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना-

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कम से कम 500 आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत जनसंख्या निवासरत है में सर्वांगीण विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक योजना का संचालन पंचायत राज संचालनालय द्वारा किया गया।

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण में 327 गांवों का चयन किया गया था, जिसमें नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास था। योजना के द्वितीय चरण में जनवरी 2019 के पश्चात योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, वर्तमान में

योजना के 1074 गांवों को शामिल किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 50 प्रतिशत और उससे अधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 2241 गांव चिन्हित हैं इनमें से 1074 ग्रामों का चयन किया गया है।

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का समेकित विकास सुनिश्चित करना है। योजनांतर्गत सामाजिक आर्थिक, एवं शैक्षणिक विकास के लिए 10 कार्य क्षेत्रों के लिए यथा- पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, विद्युत और स्वास्थ्य ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलाइजेशन तथा जीवन यापन और कौशल विकास से संबंधित 50 निगरानी योग्य संकेतक तैयार किये गये हैं।

2 जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समिति (कन्वर्जेन्स) एवं ग्राम स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में कन्वर्जेन्स समितियां गठित की गई हैं।

उक्त समितियों द्वारा सर्व संबंधितों को योजना, उसमें उद्देश्य क्रियान्वयन, फंड की व्यवस्था विभिन्न विभागों को उनकी नियमित योजना एवं SCSP मद में प्राप्त होने वाले बजट के कन्वर्जेन्स आदि विषयों पर चर्चा कर गांव विकास योजना एवं तैयार की जाकर विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर योजना के प्रोग्राम डायरेक्टर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सरपंच योजना के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं।

“प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम” योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन का उपयोग गैप फिलिंग हेतु किया जाना है। ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत प्राप्त आवंटन एवं विभिन्न विकास विभागों को अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन का कन्वर्जेन्स कर किया जा रहा है। कार्य योजना के आधार पर इन ग्रामों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय स्तर के समान्य विकास का स्तर प्राप्त करना लक्ष्य है। उक्त योजनांतर्गत भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रत्येक ग्राम हेतु राशि रुपये 20.00 लाख/राशि 9.50 लाख का आवंटन जा रहा है। योजना की समीक्षा केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन स्तर पर गठित विभिन्न समितियों द्वारा किया जाना प्रावधानित है।

राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत विभिन्न स्तर पर गठित समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कमेटी का नाम	विवरण
1	स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी	माननीय मंत्रीजी अनुसूचित जाति विभाग की अध्यक्षता में
2	स्टेट लेवल स्टीयरिंग कम मॉनीटरिंग कमेटी	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
3	स्टेट लेवल PMAGY कन्वर्जेन्स कमेटी	प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में
4	जिला स्तरीय PMAGY कन्वर्जेन्स कमेटी	कलेक्टर की अध्यक्षता में।
5	ग्राम स्तरीय कन्वर्जेन्स कमेटी	सरपंच की अध्यक्षता में

“गांव विकास योजना” (VDP) के आधार पर प्रत्येक ग्राम के 14 चयनित विकास संकेतकों के आधार पर गैप चिन्हित करते हुए सभी ग्रामों की योजना तैयार की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत पेयजल

एवं सफाई व्यवस्था हेतु अधोसंरचना, ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित निराकरण हेतु सुविधा, स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में शौचालयों का निर्माण, आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, बारहमासी सड़को का निर्माण, सोलर लाईट एवं स्ट्रीट लाईट इत्यादि कार्य किये जायेंगे। कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के समान विकास स्तर प्राप्त करना लक्ष्य होगा।

योजना की विस्तृत गाईड लाईन भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.pmagy.gov.in पर एवं म.प्र.राज्य के जिलेवार चयनित ग्रामों की संख्या की जानकारी परिशिष्ट-एक पर उपलब्ध है।

7. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित

अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित परिवार/हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन सन् 1979 में हुआ था।

निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुदान राशि म.प्र.शासन द्वारा अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से निगम को प्रदान की जाती है।

म.प्र.राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम हितग्राहियों के कौशल विकास तथा आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित करता है।

7.1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना -

योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया गया है।

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को राशि रु. 10.00 लाख अधिकतम राशि रु. 2.00 करोड़ ऋण बैंको के माध्यम से स्वयं का उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें राज्य शासन द्वारा स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 12.00 लाख मार्जिन मनी देय है एवं 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 98 हितग्राहियों को 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि रुपये 3310.78 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है। वर्ष 2020-21 से योजना स्थगित है।

7.2 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान विभिन्न विभागों के लिये समान रहेंगे। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

- | | | |
|------------------------|---|---|
| (1) परियोजना लागत | - | रु. 50 हजार से रु. 10.00 लाख तक। |
| (2) पात्रता | - | |
| (क) आयु | - | 18-45 वर्ष |
| (ख) शैक्षणिक योग्यता | - | न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण |
| (ग) आय सीमा | - | कोई बंधन नहीं |
| (3) वित्तीय सहायता | - | |
| (क) मार्जिन मनी सहायता | - | परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख। |
| (ख) ब्याज अनुदान | - | 5 प्रतिशत, प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक अधिकतम रु. 25000 प्रतिवर्ष |
| (ग) गारंटी फीस(सीजीटी) | - | प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक |

योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 3233 हितग्राहियों को 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि रुपये 16458.34 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है। वर्ष 2020-21 से योजना स्थगित है।

7.3 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना—

इस योजना के अन्तर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशाली पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

- | | | |
|------------------------|---|--|
| (1) परियोजना लागत | — | अधिकतम राशि रु 50,000 हजार |
| (2) पात्रता | — | |
| (क) आयु | — | 18-55 वर्ष |
| (ख) शैक्षणिक योग्यता | — | कोई बंधन नहीं |
| (ग) आय सीमा | — | बी.पी.एल. |
| (3) वित्तीय सहायता | — | |
| (क) मार्जिन मनी सहायता | — | परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 15,000 हजार। |

योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 2304 हितग्राहियों को 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि रुपये 1378.77 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है। वर्ष 2020-21 से योजना स्थगित है।

7.4 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना—

वित्तीय वर्ष 2018-19 से सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग के निर्देशानुसार इस योजना को प्रारंभ किया गया है, योजनान्तर्गत ऐसे कृषक एवं उनके पुत्र-पुत्री जिनके पास कृषि भूमि हो परन्तु वह आयकर दाता न हो उन्हें उद्यम स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 50 हजार से 2.00 करोड़ तक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें अधिकतम रुपये 12.00 लाख तक अनुदान सहायता एवं 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 330 हितग्राहियों को 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि रुपये 1660.58 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है। वर्ष 2020-21 से योजना स्थगित है।

8. विशेष केन्द्रीय सहायता योजनांतर्गत संचालित योजनाएं :-

8.1 सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजना —

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें बैंक के माध्यम से लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन एवं हस्तशिल्प जैसे परम्परागत व्यवसायों में ऋण उपलब्ध कराया जाकर व्यवसाय में स्थापित करना एवं उनके उत्पादनों की बिक्री में सहयोग करने के उद्देश्य से सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजना शासन द्वारा 27 जून 2015 से प्रारंभ की गई।

योजना अन्तर्गत प्रति सदस्य राशि रु. 2.00 लाख तक बैंक ऋण एवं उक्त ऋण पर भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती हैं।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में कुल 352 समूहों को 31 मार्च 2020 की स्थिति में राशि रुपये 1110.40 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है।

वर्ष 2021-22 में योजना क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8.2 कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना-

अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवकों को विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने एवं शासकीय व निजी क्षेत्रों के उपक्रमों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु योजना वर्ष 2012-13 से "मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना" संचालित की जा रही है। वर्तमान में योजना स्थगित है।

वर्ष 2020-21 में शासन की गाईड लाईन अनुसार पूर्व से संचालित दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021 में प्रशिक्षण पूर्ण हुआ योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 454.00 लाख एवं वर्ष 2020-21 में 150.00 लाख व्यय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा किया गया। वर्ष 2021-22 में मेपसेट के माध्यम से 8000 अनुसूचित जाति युवाओं को राशि रुपये 31.42 करोड़ से प्रशिक्षण देने संबंधित कार्यवाही की जा रही है।



9. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा फर्म एवं सोसाइटी एक्ट 1973. (44) के अधीन डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 में की गई। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्र निर्माण में आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू जिला इन्दौर के रूप में प्रोन्नत किया गया है।

शैक्षणिक अध्ययन शालाएं :- विश्व विद्यालय में 08 शालाएं हैं।

1. डॉ. अम्बेडकर विचार एवं दर्शन अध्ययन शाला
2. सामाजिक विज्ञान अध्ययन शाला,
3. प्रबंधन अध्ययन शाला,
4. कृषि अध्ययन शाला,

5. ग्रामीण विकास अध्ययन शाला,
6. शिक्षा अध्ययन शाला,
7. कौशल विकास अध्ययन शाला,
8. विधि तथा सामाजिक न्याय अध्ययन शाला

शैक्षणिक विभाग :-

विद्यालय में 08 अध्ययन शालाओं के अंतर्गत 34 शैक्षणिक विभाग जिसके अंतर्गत 125 से अधिक पाठ्यक्रमों में स्नातक एवं पी.एच.डी. की उपाधियों प्रदान की जाती है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्व विद्यालय महू जिला इन्दौर को वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 1100.00 लाख का प्रावधान एवं राशि रुपये 1087.25 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 1000.25 लाख का प्रावधान एवं राशि रुपये 800.20 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 800.25 लाख का प्रावधान एवं राशि रुपये 800.22 लाख तक का व्यय हुआ है। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 800.01 लाख का प्रावधान एवं राशि रुपये 640.00 लाख तक का व्यय 31 दिसम्बर 2021 तक हो चुका है।

स्थापना अनुदान की वर्ष वार स्थिति

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1.	2018-19	योजना क्र./2947 अनुरक्षण मद में सहायक स्थापना अनुदान	1100.00	1087.26
2.	2019-20	योजना क्र./2947 अनुरक्षण मद में सहायक स्थापना अनुदान	1000.25	800.20
3.	2020-21	योजना क्र./2947 अनुरक्षण मद में सहायक स्थापना अनुदान	800.25	800.25
4.	2020-21	योजना क्र./2947 अनुरक्षण मद में सहायक स्थापना अनुदान	800.01	640.00 31 दिसम्बर 2021 की स्थिति में

10. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग

आयोग का गठन:-

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक -25 वर्ष 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को गठित किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) एवं दो अशासकीय सदस्य (राज्यमंत्री दर्जा) प्राप्त होते हैं। आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास आयोग के पदेन सदस्य हैं।

आयोग के कार्य :-

1. अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिए हित प्रहरी आयोग के रूप में कार्य करेगा।
2. किन्हीं विशिष्ट जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।
3. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बनें कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें।
4. लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना।
5. ऐसे कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

आयोग की शक्तियाँ:-

अधिनियम की धारा 10 अन्तर्गत आयोग के कृत्यों के पालन करते समय और विशिष्ट तथा किसी वाद के विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ आयोग को हैं।

वर्ष 2020-21 में आयोग की पीठ द्वारा समक्ष सुनवाई तथा प्रतिवेदनों के आधार पर 390 शिकायतों का निराकरण किया गया। वर्ष 2021-22 माह दिसम्बर 2021 तक समक्ष सुनवाई एवं प्रतिवेदनों के आधार पर 567 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

आयोग को प्राप्त शिकायतें :-

वर्ष 2019-20 में आयोग में 625 आवेदन प्राप्त हुए। पूर्व की लंबित प्रकरणों सहित वर्ष में कुल 447 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा शेष 1137 प्रकरण प्रचलन में रहें।

वर्ष 2020-21 में 734 आवेदन प्राप्त हुए, एवं पूर्व वर्षों की लंबित प्रकरणों सहित में से वर्ष में 390 आवेदनों का निराकरण किया गया। वर्ष 2021-22 में तथा 1470 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलन में है।

बजट आवंटन :-

वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रावधान में से रुपये 147.5 लाख आवंटित हुआ है। जिसके विरुद्ध रुपये 138.0 लाख व्यय हुआ है।

वर्ष 2020-21 में 167.36 लाख आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें कुल 135.72 लाख व्यय हुआ।

वर्ष 2021-22 में 173.10 लाख आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से माह दिसम्बर 2021 तक कुल 109.10 लाख व्यय हुआ।

आयोग की उपलब्धियाँ :-

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अब तक तेइसवों वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 तैयार कर शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है। आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के प्रहरी के रूप में निरन्तर सजग है।

11. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत प्रदेश में अनुसूचित जातियों के हितसंरक्षण के लिये सुझाव देने हेतु "मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल" के गठन का प्रावधान है। इसके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल के सदस्यों की संख्या 25 है। वर्ष 2019-20 में दिनांक 27.09.2019 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मण्डल की बैठक सम्पन्न हुई है, जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का पालन किया जा रहा है। विधान सभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मिलित होने से विधान सभा के वर्तमान सदस्यों को शामिल करते हुए सलाहकार मण्डल का पुनः गठन किया जाना है।

12. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति

राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ-23-66/1999/4/25, दिनांक 30 अगस्त 2014 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन समसंख्यक आदेश दिनांक 14.07.2009 द्वारा गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया।

इस समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं:-माननीय वित्त मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, 4 माननीय सांसद, 11 माननीय विधायक एवं 3 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा निर्देशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल सदस्य बनाये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग समिति के संयोजक है।

(भाग-छः)

13. स्थानांतरण/विभागीय जॉच एवं न्यायालयीन प्रकरण

विभाग का प्रशासकीय नियंत्रण जनजातीय कार्य विभाग के अधीन होने से स्थानांतरण की कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जाती है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं जिलों में पदस्थ कार्यपालक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पर विभागीय जॉच अनुशासनात्मक कार्यवाही भी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जाती है।

विभाग से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की वस्तु स्थिति निम्नानुसार:-

याचिकाओं से संबंधित शाखा	कुल याचिकाएँ अवमानना प्रकरण	उच्च न्यायालय			ओ.आई. सी. नियुक्त	जवाबदावा दाखिल	निर्णय
		जबलपुर	इन्दौर	ग्वालियर			
1	2	3	4	5	6	7	8
स्थापना	22	3	14	5	22	14	—
अनुसंधान	146	130	09	05	146	144	02
अनुदान	24	14	1	9	24	10	05
कुल योग	192	147	24	19	192	168	07

(भाग-सातः)

14. महिला नीति

कार्यालय में महिलाओं के लिए किए गये कार्यों में से विशेष रूप से निम्नानुसार उल्लेखनीय है:-

महिला नीति के फलस्वरूप आयुक्त, अनुसूचित विकास कार्यालय में महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 में क्रियान्वयन हेतु आंतरिक परिवाद समिति गठित की गई है। प्रथम श्रेणी महिला राजपत्रित अधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के समक्ष अभी तक कोई महिला उत्पीड़न के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है।

विभाग द्वारा संचालित जिन योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित है, उसमें महिलाओं को न्यूनतम 30 प्रतिशत एवं शेष योजनाओं में पात्रतानुसार सभी को लाभान्वित किया जाता है।

विभाग में विशेष रूप से 100 प्रतिशत महिलाओं के हित में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

- सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजना -
- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :-
- 11वीं कक्षा की छात्राओं को सायकल प्रदाय योजना -
- छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की योजना -

15. वर्ष 2021-22 की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- विभाग अंतर्गत संचालित 10 ज्ञानोदय विद्यालयों का वर्ष 2021 का बोर्ड परीक्षाफल कक्षा 10 वी का 100 प्रतिशत एवं कक्षा 12वी का 100 प्रतिशत रहा है।
- आवास भत्ता योजना में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में लब्धित दायित्व के भुगतान हेतु राशि रुपये 5902.30 लाख का व्यय किया गया है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 की स्थिति में राशि रुपये 34293.00 लाख का छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है।
- विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 स्थिति में 44 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 561.38 लाख व्यय किया गया है।
- सावित्री बाई फूले योजना में महिलाओं के 114 समूहों को 31 दिसम्बर 2021 की स्थिति में राशि रुपये 360.52 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है।
- अस्पृश्यता निवारणार्थ संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 699 युगलों को राशि रुपये 1398.00 लाख की राशि वितरित की गई।

(भाग-नौ)

16-(अ) विभाग की मुख्य योजनाओं अंतर्गत
वर्ष 2020-21 में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

(राशि लाख में)

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आर्थिक विकास की योजनाएं (म-प्र-अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं)										
1	7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0.00	0.00						0%	स्थगित स्वरोजगार
2	0538-शिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	11300.00	11300.00	5000	-	-	-	-	30%	प्रशिक्षण
3	7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.00	0.00	-	-	-	-	-	30%	स्थगित स्वरोजगार
4	2040-सावित्री बाई फूले स्व-सहायता	500.00	500.00	300	352	352		352	100%	स्वरोजगार
5	3185-मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहाकारी वित्त एवं विकास निगम	1000.00	1000.00	53	-	-	-	-	35%	स्थापना व्यय
योग-आर्थिक विकास की योजनाएं		12800.00	12800.00	5353	352	352	0	352		
छात्रवृत्ति संबंधी योजना										
6	8805-छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	3310.00	3310.00	494837	397246	-	-	397246	48%	छात्रवृत्ति
7	5902-छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 6 से 10)	472.00	472.00	702272	43300	-	-	43300	100%	छात्रवृत्ति
8	5133-विविध छात्रवृत्तियां (0103) कक्षा 9 से 10	11526.00	11408.05	318631	306219	-	-	306219	40%	छात्रवृत्ति

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	0327-अस्वच्छ धर्मे में लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति	2072.00	2065.25	13183	12409	-	-	12409	48%	छात्रवृत्ति
10	8844-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन(कक्षा 11वीं)	1400.00	1400.00	50659	50869	50869	-	50869	100%	छात्रवृत्ति
	7765-पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	6000.00	6000.00	204984	199567	-	-	199567	46%	छात्रवृत्ति
	7764-पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	38600.00	34944.54	32006	32006	-	-	32006	48%	छात्रवृत्ति
	0584 माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	234.97	234.91	28300	28300	13200	15100	28300	35%	छात्रवृत्ति
योग-छात्रवृत्ति संबंधी योजना		63614.97	59834.74	1844872	1069916	64069	15100	1069916		
छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत										
14	3997-विद्यार्थी कल्याण	10.00	3.57	96	96	-	-	96	30%	
15	5204-अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन	25.00	13.75	92	92	50	42	92		
16	7763-अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	9000.00	8728.07	59242	59242	25788	33454	59242	45%	आवास सुविधा
17	8801-सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	306.24	294.67	209	209	-	-	209	25%	

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	8801-सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति (विदेश शिक्षा)	1052.23	877.68	50	51	-	-	51	50%	विदेश अध्ययन
19	8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	2673.57	1982.09	5600	4808.00	2400	2408	4808	50%	स्थापना व्यय
20	8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	200.00	159.86	100	-	-	-	-	35%	कोचिंग
					4	-	-	4	35%	महर्षि योजना अंतर्गत प्रोत्साहन
21	2324-आकांक्षा योजना	0.01	0.00		-	-	-	-		
22	8735-अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	19.00	10.00	250000	-	-	-	-	40%	स्थाई जाति प्रमाण पत्र
23	6839-व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास योजना	3.00	3.00	102	102	51	51	102	50%	विद्यार्थी शिविर
24	1084-खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	10.00	0.85	50	12	-	-	12	35%	
25	1398-सीनियर छात्रावास	9356.15	7834.97	93762	14909	7400	7509	14909	50%	छात्रावास
26	7562-उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	1489.50	675.17						50%	छात्रावास
27	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-	6027.93	2587.54						50%	छात्रावास
28	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-	11618.19	9773.92	375	375	-	-	375	50%	छात्रावास
29	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-	5000.02	3061.58	43		-	-		50%	छात्रावास

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	6813-साइकिलों का प्रदाय	10.00	9.93	311	311	311	-	311	100%	
योग-छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत		46800.84	36016.66	410032	80211	36000	43464	80211		
नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ										
31	5191-अनुसूचित जाति विकास अत्याचार निवारण नियम 2015 के अन्तर्गत राहत	10535.51	10535.30		7507	4504	3003	7507	-	नियमानुसार
32	0326-अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	2312.00	2218.47	1100	1100	550	550	1100	50%	विवाह प्रोत्साहन योजना
योग-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ		12847.51	12753.78	1100	8607	5054	3553	8607		
निर्माण संबंधी योजनाएं										
33	8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	1500.00	1288.13	10	10	-	-	10	50%	निर्माण
34	1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन	500.00	430.41	-	-	-	-	-	50%	निर्माण
35	1032-कार्यालय भवनों के निर्माण/ विद्युतीकरण	10.00	5.25	1	1	-	-	1		निर्माण
36	6101-संत रविदास स्मारक निर्माण	0.01	0.00	-	-	-	-	-		निर्माण
37	5635-बाबूजगजीवन राम छात्रावास योजना	1100.00	729.50	-	-	-	-	-	100%	निर्माण
38	6821-शैक्षणिक संस्थाओं आश्रम छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	0.01	0.00	-	-	-	-	-		निर्माण

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	विमर्क
1	2	3	4	5	6	महिला	पुरुष	योग	10	11
	योग-निर्माण संबंधी योजनाएं	3110.02	2453.29	11	11	0	0	11		

बस्ती विकास योजनाएं

39	4722-अनुसूचित जातियों की बस्तियों का विकास	18197.00	11394.69	1000	964	-	-	964		निर्माण
40	5084-अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास	2000.00	1050.56	1000	276	-	-	276		निर्माण
41	1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	9000.01	6387.02	1025	1074		-	1074		निर्माण
	योग-बस्ती विकास योजनाएं	29197.01	18832.27	3025	2314	0	0	2314		

स्थापना एवं अनुदान योजनाएं

42	2947-डॉ-बी-आर-अम्बेडकर सामा. विज्ञान महु को स्थापना अनुदान	800.25	789.34	1	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
43	0671-ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	2048.11	2009.68	102	82	-	-	82	45%	स्थापना व्यय
44	9550-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	83.37	73.19	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
45	2294-संचालनालय की स्थापना	745.05	589.65	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
46	1474-जिला कार्यालयों की स्थापना	1762.64	1656.48	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	2741-प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	21.67	21.25	-	-	-	-	-		स्थापना व्यय
48	2526-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	474.06	422.09	1050	209	-	-	209	45%	स्थापना व्यय
49	5762-अनुसूचित जाति आयोग का गठन	168.36	131.49	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
योग-स्थापना एवं अनुदान योजनाएँ		6103.51	5693.18	1153	291	0	0	291		

अन्य योजनाएँ

50	0800-अंशकालीन अध्ययन सह व्यावसायिक मार्ग दर्शन केन्द्र	0.30	0.00	-	-	-	-	-		
51	9025-आयोग तथा समितियाँ	1.00	0.00	-	-	-	-	-		
52	9846-स्काउड गाईड	2.27	1.82	-	-	-	-	-		
53	4719-अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना	24.47	20.04	850	162	-	-	162		
54	6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान	40.00	0.00	7	-	-	-	-		पुरस्कार एवं सम्मान
55	9094-संकेतिक विकास हेतु सर्वेक्षण	100.01	100.00	-	-	-	-	-		सर्वेक्षण
योग-अन्य योजनाएँ		168.05	121.85	857	162	0	0	162		

टोकन प्रावधान

56	7589-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	0.00	0.00	-	-	-	-	-		
57	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम (पूजीगत)	0.01	0.00	-	-	-	-	-		

स. क्र.	संज्ञना का नाम	पुनर्वित्तियोजन/समुपुक्त सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	हिनोक 31.03.21 की स्थिति में व्यय राशि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	समिकाशी कर्मचारी का प्रशिक्षण	0.00	0.00	-	-	-	-	-		
59	स्व. श्री सुशीलदेविका वर्मा मुख्यमंत्री योजना	0.01	0.00	-	-	-	-	-		
60	डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिभाशाली विद्यार्थिनी की प्रोत्साहन	0.00	0.00	-	-	-	-	-		
	योग टीकन प्रावधान	0.02	0.00	0	0	0	0	0		
	महाराजग-क)	174641.93	148505.78	2266403	1161864	105475	62117	1161864		

**16-(ब) विभाग की मुख्य योजनाओं अंतर्गत
वर्ष 2021-22 में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि**

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में

(राशि लाख में)

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आर्थिक विकास की योजनाएं (म-प्र-अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं)										
1	7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0%	स्थगित
2	0538-शिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	500.00	0.00	5000	-	-	-	-	30%	प्रशिक्षण
3	7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.00	0.00	-	-	-	-	-	30%	स्वरोजगार
4	2040-सावित्री बाई फूले स्व-सहायता	200.002	0.00	300	-	-	-	-	100%	स्वरोजगार
5	3185-मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहाकारी वित्त एवं विकास निगम	1100.00	593.25	53	53	21	32	53	35%	स्थापना व्यय
योग-आर्थिक विकास की योजनाएं		1800.002	593.255	5353.000	53	21	32	53		
छात्रवृत्ति संबंधी योजना										
6	8805-छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	2200.00	2200.00	494837	-	-	-	-	48%	छात्रवृत्ति
7	5902-छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 6 से 10)	1450.00	70.69	702272	-	-	-	-	100% 48%	छात्रवृत्ति
8	5133-विविध छात्रवृत्तियां (0103) कक्षा 9 से 10	10000.002	660.00	318631	-	-	-	-	40%	छात्रवृत्ति

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूर्वक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	0327-असह्यक्ष भर्षे व लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति	500.00	0.00	13183	-	-	-	-	48%	छात्रवृत्ति
10	8844-कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन(कक्षा 9वीं)	1300.00	594.99	50560	-	-	-	-	100%	छात्रवृत्ति
11	7765-पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	6099.991	3900.00	204984	-	-	-	-	46%	छात्रवृत्ति
12	7764-पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	37200.04	34293.36	32006	-	-	-	-	48%	छात्रवृत्ति
13	0584-माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	300.00	192.00	54000	-	-	-	-	35%	छात्रवृत्ति
योग-छात्रवृत्ति संबंधी योजना		59050.03	41911.04	1870473	0	0	0	0		
छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत										
14	3997-विद्यार्थी कल्याण	25.00	0.45	96	5			5	30%	
15	7763-अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	7400.00	5902.30	59242	19953	10300	11166	21466	45%	आवास सुविधा
16	8801-सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	350.00	224.00	309	207	207		207	25%	
17	8801-सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति (विदेश शिक्षा)	900.00	244.53	50	44	15	29	44	50%	विदेश अध्ययन

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
						महिला	पुरुष	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	5003.10	1688.26	6400	2560	1200	1360	2560	35%	स्थापना व्यय
19	8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	210.00	134.38	100	-	-	-	-	35%	कोचिंग
				100	74			74	35%	महर्षि योजना अंतर्गत प्रोत्साहन
20	1398-सीनियर छात्रावास	11515.71	6108.35	28115	1530	7650	7658	15308	50%	छात्रावास
21	7562-उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	1757.70	484.70	55522	6900	3400	3500	6900	50%	छात्रावास
22	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	10000.00	3321.61	43	-	-	-	-	50%	छात्रावास
23	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	8300.01	2170.59	10115	37825	18000	19750	37750	50%	छात्रावास
24	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	12550.73	6988.98	-	-	-	-	-	50%	छात्रावास
25	साइकिलों का प्रदान	20.00	10.60	500	332	332		332	100%	कन्याओं को सायकल प्रदाय
योग-शिक्षा एवं शिक्का हेतु प्रोत्साहन करने बाबत		58032.25	27278.76	160592	69430	41104	43463	84646		
नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ										
26	अनुसूचित जाति विकास आचार निवारण नियम 2015 के अन्तर्गत राहत	10723.51	7871.64	-	5500	-	-	5500	-	नियमानुसार
27	0326-अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	2140.00	1408.24	1000	700	350	350	700	50%	विवाह प्रोत्साहन
योग-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ		12863.51	9279.88	1000	6200	350	350	6200		

सं. क्र.	सोजना का नाम	पुनर्विनिर्माण/अनुपूरक सहित बजट मासमान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेण्डर बजट का प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
निर्माण संबंधी योजनाएं										
28	समग्र शासकीय सोपीयन विद्यालयों की स्थापना	2200.00	766.63	10	10	-	-	10	50%	निर्माण कार्य
29	जलवायु आश्रय तथा छात्रावास भवन	1300.00	348.75	4	4	-	-	4	50%	निर्माण कार्य
30	11132 कर्मचारी भवन की निर्माण/विद्युतीकरण	20.00	0.00	1	-	-	-	-	-	निर्माण कार्य
31	5635 बाबूचणगीवन राम छात्रावास सोजना	1600.00	580.50	8	8	-	-	8	100%	निर्माण कार्य
32	6821 शैक्षणिक संस्थाओं आश्रय छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	निर्माण कार्य
योग-निर्माण संबंधी योजनाएं		5120.01	1695.88	23	22	0	0	22		
बस्ती विकास योजनाएं										
33	4722 अनुसूचित जातियों की बस्तियों का विकास	6100.01	853.50	1000	24	-	-	24		निर्माण कार्य
34	1213 प्रधानमंत्री आवास याम योजना	9302.41	1736.86	1074	1074	-	-	1074		निर्माण कार्य
योग-बस्ती विकास योजनाएं		15402.42	2590.35	2074	1098	0	0	1098		
स्थापना एवं अनुदान योजनाएं										
35	2947-बी-बी-आर-अम्बेडकर सामा. विज्ञान मण्ड को स्थापना अनुदान	800.01	512.00	1	1	-	-	-	45%	स्थापना व्यय

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रायधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि			जेषडर बजट का प्रतिशत	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	0671-ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	2315.73	1258.10	107	50	-	-	50	45%	स्थापना व्यय
37	9550-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	78.45	53.57	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
38	2294-संचालनालय की स्थापना	1242.73	848.48	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
39	1474-जिला कार्यालयों की स्थापना	1893.52	1218.47	-	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
40	2526-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	494.42	319.75	1050	-	-	-	-	45%	स्थापना व्यय
41	5762-अनुसूचित जाति आयोग का गठन	174.10	108.76	25	20	8	12	20	45%	स्थापना व्यय
योग-स्थापना एवं अनुदान योजनाएँ		6998.96	4319.13	1183	71	8	12	70		
अन्य योजनाएँ										
42	9025-आयोग तथा समितियाँ	1.00	0.00	-	-	-	-	-		
43	4719-अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना	24.48	10.24	1220	320	-	-	320		
44	9094-संकेतिक विकास हेतु सर्वेक्षण	100.01	0.00	-	-	-	-	-		
योग-अन्य योजनाएँ		125.49	10.24	1220	320	0	0	320		0
महायोग-		159392.71	87678.53	2041918	77194	41483	43857	92409		

17-(अ) कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
मांग संख्या/योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय संबंधी जानकारी
वर्ष 2020-21

राशि रुपये लाखों में)

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय
1	2	3	4
आर्थिक विकास की योजनाएं (म-प्र-अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं)			
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0.00	0.00
2	शिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	11300.00	11300.00
3	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.00	0.00
4	सावित्री बाई फूले स्व-सहायता	500.00	500.00
5	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहाकारी वित्त एवं विकास निगम	1000.00	1000.00
योग-आर्थिक विकास की योजनाएं		12800.00	12800.00
छात्रवृत्ति संबंधी योजना			
6	छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	3310.00	3310.00
7	छात्रवृत्ति कक्षा 1से 8 तक (कक्षा 6 से 10)	472.00	472.00
8	विविध छात्रवृत्तियां (0103) कक्षा 9 से 10	11526.00	11408.05
9	अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति	2072.00	2065.25
10	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन(कक्षा 11वीं)	1400.00	1400.00
11	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	6000.00	6000.00
12	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	38600.00	34944.54
13	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	234.97	234.91
योग-छात्रवृत्ति संबंधी योजना		63614.97	59834.74
छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत			
14	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	1489.50	675.17
15	विद्यार्थी कल्याण	10.00	3.57
16	अनुसूचित जाति के छात्र- छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन	25.00	13.75
17	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	9000.00	8728.07
18	सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	306.24	294.67

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय
1	2	3	4
19	सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति (विदेश शिक्षा)	1052.23	877.68
20	शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	2673.57	1982.09
21	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	200.00	159.86
22	आकांक्षा योजना (100 राज्यांश)	0.01	0.00
23	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	19.00	10.00
24	व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास योजना	3.00	3.00
25	खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय	10.00	0.85
26	अनुसूचित जाति छात्रावास	6027.93	2587.54
27	राइकिलों का प्रदाय (100 राज्यांश)	10.00	9.93
	योग-छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत	20826.48	15346.18
नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ			
28	अनुसूचित जाति विकास अत्याचार निवारण नियम 2015 के अन्तर्गत	10535.51	10535.30
29	अश्रयता निवारणार्थ आयोजन	2312.00	2218.47
	योग-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	12847.51	12753.77
निर्माण संबंधी योजनाएं			
30	शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	1500.00	1288.13
31	अनुसूचित जाति छात्रावास	5000.02	3061.58
32	आश्रम तथा छात्रावास भवन	500.00	430.41
33	कार्यालय भवनों के निर्माण/ विद्युतीकरण	10.00	5.25
34	संत रविदास स्मारक निर्माण	0.01	0.00
35	बाबूजगजीवन राम छात्रावास योजना	1100.00	729.50
36	शैक्षणिक संस्थाओं आश्रम छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	0.01	0.00
	योग-निर्माण संबंधी योजनाएं	8110.04	5514.87
बस्ती विकास योजनाएं			
37	अनुसूचित जातियों की बस्तियों का विकास	18197.00	11394.69
38	अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास	2000.00	1050.56

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	दिनांक 31.03.21 की स्थिति में व्यय
1	2	3	4
39	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	9000.01	6387.02
	योग-बस्ती विकास योजनाएं	29197.01	18832.27
	स्थापना एवं अनुदान योजनाएं		
40	डॉ. बी.आर.अम्बेडकर सामा.विज्ञान मूह को स्थापना अनुदान	800.25	789.34
41	ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	2048.11	2009.68
42	नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	83.37	73.19
43	संचालनालय की स्थापना	745.05	589.65
44	जिला कार्यालयों की स्थापना	1762.64	1656.48
45	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	21.67	21.25
46	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	474.06	422.09
47	अनुसूचित जाति छात्रावास-	11618.19	9773.92
48	सीनियर छात्रावास	9356.15	7834.97
49	अनुसूचित जाति आयोग का गठन	168.36	131.49
	योग-स्थापना एवं अनुदान योजनाएं	27077.85	23302.08
	अन्य योजनाएं		
50	अंशकालीन अध्ययन सह व्यावसायिक मार्ग दर्शन केन्द्र	0.30	0.00
51	आयोग तथा समितियां	1.00	0.00
52	स्काउड गाईड	2.27	1.82
53	अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना	24.47	20.04
54	अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान	40.00	0.00
	योग-अन्य योजनाएं	68.04	21.85
	टोकन प्रावधान		
55	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	0.00	0.00
56	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम (पूजीगत)	0.01	0.00
57	संकेतिक विकास हेतु सर्वेक्षण	100.01	100.00
58	अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.00	0.00
59	स्व. श्री सुशीलचन्द्रज वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00
60	डा.श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	0.00	0.00
	योग-टोकन प्रावधान	100.03	100.00
	महायोग	174661.94	148505.78

17-(ब) कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
मांग संख्या/योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय संबंधी जानकारी
वर्ष 2021-22

(राशि लाखों में)

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय
1	2	3	4
आर्थिक विकास की योजनाएं (म-प्र-अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं)			
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0.00	0.00
2	शिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	500.00	0.00
3	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0.00	0.00
4	सावित्री बाई फूले स्व-सहायता	200.002	0.00
5	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहाकारी वित्त एवं विकास निगम	1100.00	593.25
योग-आर्थिक विकास की योजनाएं		1800.002	593.25
छात्रवृत्ति संबंधी योजना			
6	छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक	2200.00	2200.00
7	छात्रवृत्ति कक्षा 1से 8 तक (कक्षा 6 से 10)	1450.00	70.69
8	विविध छात्रवृत्तियां (0103) कक्षा 9 से 10	10000.002	660.00
9	अस्वच्छ धंधें में लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति	500.00	0.00
10	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन(कक्षा 11वीं)	1300.00	594.99
11	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	6099.991	3900.00
12	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	37200.04	34293.36
13	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	300.00	192.00
योग-छात्रवृत्ति संबंधी योजना		59050.03	41911.04
छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत			
14	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	1757.70	484.70
15	विद्यार्थी कल्याण	25.00	0.45
16	अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	7400.00	5902.30

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय
1	2	3	4
17	सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	350.00	224.00
18	सैनिक स्कूल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति (विदेश शिक्षा)	900.00	244.53
19	शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	5003.10	1688.26
20	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	210.00	134.38
21	अनुसूचित जाति छात्रावास	8300.01	2170.59
22	साइकिलों का प्रदाय	20.00	10.60
योग-छात्रावास एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने बाबत		23965.81	10859.82
नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ			
23	अनुसूचित जाति विकास अत्याचार निवारण नियम 2015 के अन्तर्गत राहत	10723.51	7871.64
24	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	2140.00	1408.24
योग-नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ		12863.51	9279.88
निर्माण संबंधी योजनाएं			
25	शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	2200.00	766.63
26	अनुसूचित जाति छात्रावास	10000.00	3321.61
27	आश्रम तथा छात्रावास भवन	1300.00	348.75
28	कार्यालय भवनों के निर्माण/ विद्युतीकरण	20.00	0.00
29	बाबूजगजीवन राम छात्रावास योजना	1600.00	580.50
30	शैक्षणिक संस्थाओं आश्रम छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	0.01	0.00
योग-निर्माण संबंधी योजनाएं		15120.01	5017.50
बस्ती विकास योजनाएं			
31	अनुसूचित जातियों की बस्तियों का विकास	6100.01	853.50
32	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	9302.41	1736.86
योग-बस्ती विकास योजनाएं		15402.42	2590.35

स. क्र.	योजना का नाम	पुनर्विनियोजन/ अनुपूरक सहित बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय
1	2	3	4
33	डॉ-बी-आर-अम्बेडकर सामा.विज्ञान मूह को स्थापना अनुदान	800.01	512.00
34	ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	2315.73	1258.10
35	नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ	78.45	53.57
36	संचालनालय की स्थापना	1242.73	848.48
37	जिला कार्यालयों की स्थापना	1893.52	1218.47
38	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	494.42	319.75
39	अनुसूचित जाति छात्रावास	12550.73	6988.98
40	सीनियर छात्रावास	11515.71	6108.35
41	अनुसूचित जाति आयोग का गठन	174.10	108.76
योग-स्थापना एवं अनुदान योजनाएँ		31065.40	17416.46
अन्य योजनाएँ			
42	आयोग तथा समितियाँ	1.00	0.00
43	अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना	24.48	10.24
योग-अन्य योजनाएँ		25.48	10.24
टोकन प्रावधान			
44	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम (पूजीगत)	0.02	0.00
45	संकेतिक विकास हेतु सर्वेक्षण	100.01	0.00
46	डा-श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	0.01	0.00
योग-टोकन प्रावधान		100.04	0.00
महायोग-		159392.71	87678.53

18-परिशिष्ट-एक
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत चयनित ग्रामों की जिलेवार संख्या

सक्र	जिला	चयनित ग्रामों की संख्या	प्रारूप ग्राम विकास योजना निर्माण करने वाले ग्रामों की संख्या	अंतरिम प्रारूप ग्राम विकास योजना निर्मित करने वाले ग्रामों की संख्या	जिला अभिसरण समिति से प्रारूप ग्राम विकास योजना अनुमोदित कराने वाले ग्रामों की संख्या	जिला अभिसरण समिति से अंतरिम ग्राम विकास योजना अनुमोदित कराने वाले ग्रामों की संख्या
1.	आगर मालवा	25	25	782	39	99
2.	अलीराजपुर	2	2	58	5	3
3.	अनूपपुर	5	5	104	0	0
4.	अशोकनगर	22	22	49	3	21
5.	बड़वानी	1	1	5	0	4
6.	बालाघाट	4	4	53	18	0
7.	बैतूल	4	4	47	0	17
8.	भिण्ड	67	67	1222	53	22
9.	भोपाल	16	16	271	15	34
10.	बुरहानपुर	3	3	51	13	0
11.	छतरपुर	38	35	421	9	56
12.	छिन्दवाड़ा	12	12	152	77	34
13.	दमोह	14	14	119	11	15
14.	दतिया	31	31	389	60	51
15.	देवास	29	29	568	78	0
16.	धार	4	4	54	17	8
17.	डिण्डौरी	23	23	277	4	0
18.	गुना	8	8	169	2	5
19.	ग्वालियर	16	16	311	33	78
20.	हरदा	34	34	490	8	74
21.	होशंगाबाद	2	2	33	12	0
22.	इन्दौर	10	10	205	10	23
23.	जबलपुर	20	20	169	15	14
24.	खण्डवा	11	11	185	1	0
25.	खरगोन	20	20	531	55	38
26.	मंडला	5	5	103	0	3
27.	मन्दसौर	40	40	248	174	16
28.	मुरैना	43	43	309	1	0
29.	नरसिंहपुर	6	6	107	21	34
30.	नीमच	6	6	59	15	0
31.	निवाड़ी	9	9	216	0	0
32.	पन्ना	24	24	188	25	0
33.	रायसेन	17	17	286	24	14

सक्र	जिला	नगरित ग्रामों की संख्या	ग्रारूप ग्राम विकास योजना निर्माण करने वाले ग्रामों की संख्या	अंतरिम ग्रारूप ग्राम विकास योजना निर्मित करने वाले ग्रामों की संख्या	जिला अभिसरण समिति से ग्रारूप ग्राम विकास योजना अनुमोदित कराने वाले ग्रामों की संख्या	जिला अभिसरण समिति से अंतरिम ग्राम विकास योजना अनुमोदित कराने वाले ग्रामों की संख्या
34.	राजमङ्ग	36	36	89	26	1
35.	रतनाम	26	26	302	29	52
36.	रीना	43	43	697	78	0
37.	रागर	39	39	503	125	25
38.	रतना	48	48	642	98	53
39.	रीहोर	46	46	851	0	262
40.	सिनरी	14	14	118	4	14
41.	रातजोल	2	2	56	7	3
42.	राजापुर	24	24	354	67	42
43.	रगोर	11	11	139	25	4
44.	सिनपुरी	26	26	139	93	1
45.	रीधी	7	7	92	0	0
46.	सिंगरौली	4	4	68	1	4
47.	रीकमगङ्ग	34	35	583	199	2
48.	राजौर	104	104	1800	219	41
49.	रागरिगा	4	4	32	0	0
50.	विदिशा	35	35	674	91	1
	योग	1074	1071	15370	1860	1168

19-परिशिष्ट-दो
अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत निर्माण कार्यो की जानकारी

दिसम्बर 2021 की स्थिति में

योजना	वर्ष	भवनों की प्रगति			कन्या			बाक		
		संख्या	पूर्ण	प्रगति पर	संख्या	पूर्ण	प्रगति पर	संख्या	पूर्ण	प्रगति पर
राज्य योजना	2013-14	35	34	01	33	33	00	02	02	0
	2014-15	35	32	03	32	31	01	03	03	0
	2015-16	50	41	09	25	19	06	25	22	03
	2019-20	43	00	43	23	00	23	20	0	20
	कुल-	163	107	56	113	83	30	50	27	23
बाबूजगजीवनराम छात्रावास योजना	2013-14	10	10	0	05	05	0	05	05	0
	2016-17	20	18	02	10	08	02	10	10	0
	2017-18	04	0	04	04	02	02	0	0	0
	2018-19	01	0	01	0	0	0	01	0	01
	2020-21	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	कुल-	45	28	17	29	15	14	16	15	01

—00—



महाराष्ट्र सरकार/2022
मुंबई, महाराष्ट्र

